भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1436

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषयःगेहूं की खेती का क्षेत्र

1436. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री बिद्युत बरत महतोः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गेहूं की खेती केक्षेत्र का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौराक्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश, विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र औरझारखंड में किसानों को गेहूं की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करनेके संबंध में किन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहाहै;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में गेहूं के उत्पादनऔर उनकी कीमतों पर उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का पतालगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधीराज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकेक्या परिणाम रहे हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि को लाभदायक और सतत बनाने परध्यान केंद्रित करने के लिए क्याकदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहेहैं?

उत्तर

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख):पिछले तीन वर्षों में अर्थात 2016-17 से 2018-19 के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड सहित देश में गेहूं के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने हाल ही में 2019-20 मौसम के लिए गेहूं सहित सभी अधिदेशित खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है, जो अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम

से कम 50 प्रतिशत लाभ प्रदान करने के सिद्धांत के अनुरूप है। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2018-19 के रू. 1840/-प्रतिक्विंटल से बढ़ाकरवर्ष 2019-20 के लिएरू.1925/-प्रति क्विंटल कर दिया है।

इसके अलावा, देश में गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) - गेहूंका देश के 10 राज्यों के 126 जिलों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों नामतः बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम के हस्तक्षेपों में बेहतर प्रथाओं के पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज किस्म के बीजों का वितरण, कुशल जल अनुप्रयोगों के उपकरण आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ):अक्टूबर, 2017 के दौरान किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम-गेहूं सहित) कार्यक्रम केप्रभाव केमूल्यांकन पर अध्ययन दर्शाता है कि 11 वीं योजना की तुलना में, 12 वीं योजना अवधि में गेहूं के औसत क्षेत्र, उत्पादन और उपज में क्रमशः 1.95 मिलियन हेक्टेयर, 8.95 मिलियन टनऔर 104 किग्रा/हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। पांच राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश (96.37%), झारखंड (87.08%), नागालैंड (70.16%), हिमाचल प्रदेश (30.80%) और छत्तीसगढ़ (23.45%) ने 11 वीं योजना की तुलना में12 वीं योजना के दौरान गेहूं का उच्च उत्पादन दर्ज किया।

(ङ): देश में कृषि को लाभदायक एवं सतत् बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रान्तिलाना (बीजीआरईआई), राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि को कार्यान्वित कर रही है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य विशिष्ट कृषि रणनीतियों के कार्यान्वयन के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहनसहित, एकीकृत पोषण प्रबंधन (आईएनएम) के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य का सुधार, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), फार्म मशीनीकरण इत्यादि के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्यों को जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कृषि अवसंरचना के सृजन हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार देश में कृषि उत्पादों के आयात पर करीब से निगरानी रखती है तथा समय-समय पर अपेक्षित उपाय करती है ताकि कृषि उत्पादों के सस्ते आयात को प्रतिबंधित किया जा सके तथा जब कभी भी आवश्यक हो, न्यूनतम आयात मूल्यलगा कर, आयात शुल्कों में वृद्धिकर, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध तथा लाइसेंसिग के द्वारा आयातों पर प्रतिबंध लगाकर देश के संकटग्रस्त किसानों की रक्षा की जा सके।

इसके अलावा, देश में उपज और उत्पादन बढ़ाने के

लिएभारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), अपने फसल आधारित संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के माध्यम से, और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के सक्रिय सहयोग से खेतों की फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों या संकर किस्मों जिसमें गेहूं भी शामिल हैं,के विकास में संलग्न है। आईसीएआर-फसल विज्ञान प्रभाग के अनुसंधान प्रयासों ने 2014 से 2019 के दौरान झारखंड (11), मध्य प्रदेश (9) और महाराष्ट्र (20) के लिए 40 उच्च उपज और तनाव सहनशील/संकरित गेहूं की किस्मों को विकसित और जारी किया है।

अनुबंध

दिनांक 11.02.2020 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्नसंख्या 1436 के भाग (क)और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान गेहूँ के अंतर्गत क्षेत्रफल का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर)		
	2016-17	2017-18	2018-19*
1	2	3	4
असम	17.45	17.79	19.00
बिहार	2105.81	2101.31	2105.96
छत्तीसगढ़	114.70	101.36	103.62
गुजरात	995.00	1059.00	797.16
हरियाणा	2558.00	2440.00	2553.10
हिमाचलप्रदेश	346.39	318.87	318.87
जम्मूतथा कश्मीर	290.30	299.36	288.65
झारखंड	211.47	220.96	163.85
कर्नाटक	168.00	193.00	142.50
मध्यप्रदेश	6028.00	5316.00	5520.00
महाराष्ट्र	1272.10	1024.00	569.30
ओडिशा	0.06	0.07	0.18
पंजाब	3495.00	3512.00	3520.00
राजस्थान	2830.00	2810.00	2997.50
तेलंगाना	5.00	4.00	5.00
उत्तरप्रदेश	9655.00	9753.00	9540.00
उत्तराखंड	341.00	333.00	327.00
पश्चिमबंगाल	321.62	117.00	135.00
अन्य	30.32	29.86	29.66
अखिल भारत	30785.23	29650.59	29136.36

*चौथे अग्रिमअनुमानों के अनुसार

*****